नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

एक नजर में

भारती के बेटे हो सकते है उपचुनाव में उम्मीदवार

दतिया. विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव में राजेंद्र भारती के बेटे कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं. राजनीतिक गलियारों के अनुसार, राजेंद्र भारती दिल्ली में अपने बेटे के साथ लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिले हैं. इस मुलाकात के बाद से ही दतिया सीट से उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारने की अटकलें बेहद तेज हो गई हैं. राजेंद्र भारती ने अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई तय कर दी है और उन्हें फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है. इसी वजह से दतिया सीट को रिक्त घोषित कर उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. कोर्ट से राहत न मिलने के बाद राजेंद्र भारती अपने बेटे के साथ दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व व राहुल गांधी से मुलाकात की.

अवैध रेत खनन पर सुको ने सरकार से मांगा जवाब

- सुनवाई के बाद ही मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट हो
- मामले की सुनवाई 11 से बढ़ाकर 20 मई की गई

मुरैना, 18 मई. मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन और उससे जुड़े वाहनों पर कार्रवाई को लेकर उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार से सख्त जवाब तलब किया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अवैध उत्खनन और रेत परिवहन में उपयोग किए जा रहे बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है.

> इससे पहले जिला प्रशासन भी परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुका है. 17 मई को कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने परिवहन विभाग को पत्र जारी कर जिले में बिना पंजीयन वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद मैदानी स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई है.

पीठ ने ऐसे वाहनों की पहचान, जब्ती और मोटर वाहन अधिनियम के पालन को लेकर विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है. न्यायालय ने यह भी पूछा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई तथा भविष्य में चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं. न्यायालय ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को 20 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं. मुरैना के जिला मंडलाधिकारी हरिश्चंद्र बघेल ने बताया कि मामले की सुनवाई पहले 11 मई को प्रस्तावित थी, जिसे बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया. उन्होंने कहा कि आगामी सुनवाई के बाद ही मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा में सचिव निलंबित

भिण्ड. जिले में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों में अनियमितता का मामला सामने आने पर ग्राम पंचायत सचिव माताप्रसाद बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. मामला गोहद अनुभाग की ग्राम पंचायत लहचूरा का है. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरसिंह चौहान ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. जांच में पाया गया कि पंचायत सचिव की आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर कई जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए और बाद में उन्हें निरस्त कर दिया गया.

जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रमाण पत्रों का दोबारा पंजीकरण किया गया, जबकि कई दस्तावेज बाद में निरस्त पाए गए. अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड मांगे जाने पर सचिव कोई भी आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके.

मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए सचिव माताप्रसाद बघेल को निलंबित कर दिया गया. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहद निर्धारित किया गया है.

मंत्री नागर को उइके ने लिया निशाने पर

मंत्री के बयान से एमपी का सियासी पारा चढ़ा

झाबुआ, 18 मई .मध्यप्रदेश सरकार की मंत्री संपतिया उइके के एक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जबकि संबंधित मंत्री नागरसिंह चौहान ने आरोपों को निराधार बताया है.

सूत्रों के अनुसार भोपाल में 17 और 18 मई को मंत्रियों के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और संगठन पदाधिकारियों द्वारा फीडबैक बैठक आयोजित की गई. बताया गया कि पहले दिन अलीराजपुर से मंत्री नागरसिंह चौहान बैठक में अनुपस्थित रहे. इस संबंध में पूछे जाने पर जिले की प्रभारी मंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने कथित तौर पर कहा कि ''नागरसिंह तो शराब कारोबार के व्यवसाय में रत हैं, उनसे कैसा

समन्वय.''

मंत्री के इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला. अलीराजपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक महेश पटेल ने नागरसिंह चौहान पर भ्रष्टाचार और जिले में अवैध शराब कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि शराब ठेकेदारों को मंत्री की मर्जी से काम करना पड़ता है. पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल ने भी मंत्री के बयान को सही बताते हुए जिला प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया.

> कांग्रेस विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार के मंत्री अब एक-दूसरे पर खुलेआम शराब कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मामले में कार्रवाई की मांग की. वहीं मंत्री नागरसिंह चौहान ने वार्ता से मोबाइल फोन पर चर्चा में कहा कि संपतिया उइके यह बताएं कि उन्हें किसने बताया कि वह शराब के कारोबार में लिप्त हैं. उन्होंने कहा कि किसी खबर के प्रकाशित होने मात्र से बातें सही नहीं हो जातीं. उल्लेखनीय है कि नागरसिंह चौहान पूर्व में भी कई विवादों को लेकर चर्चा में रहे हैं. इससे पहले भी उन्होंने सरकार और विभागीय अधिकारियों को लेकर सार्वजनिक बयान दिए थे.

छतरपुर में पूर्व सरपंच पर फायरिंग, हालत नाजुक

- हमलावरों ने कई राउंड चलाई गोलियां

राजनगर (छतरपुर), 18 मई. जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमपुर गांव के पूर्व सरपंच महुम सिंह उर्फ हल्के राजा पर सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस हमले में पूर्व सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच महुम सिंह सोमवार को छतरपुर से वापस अपने गांव विक्रमपुर से लौट रहे थे. वे इमलिया गांव के समीप पहुंचे, तभी चार फोर-व्हीलर वाहनों में सवार होकर आए बदमाशों ने उनके वाहन को घेर लिया और उन पर कट्टे और बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. घटना के संबंध में घायल पूर्व सरपंच के भतीजे योगेन्द्र देव बुन्देला ने बताया कि उनके चाचा महुम सिंह छतरपुर से लौटकर विक्रमपुर जा रहे थे, तभी इमलिया गांव के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने वाहनों से उतरकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.

घटना की सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने जिले भर में नाकाबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. प्राथमिक तौर पर इस खूनी हमले के पीछे पुरानी रंजिश या जमीनी विवाद की आशंका जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को शिनाख्त कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

हाईवे पर पलटा तेज गति से दौड़ रहा ट्रक, दबने से हुई क्लीनर की मौत

शाजापुर. नेशनल हाईवे 52 पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस हादसे में ट्रक के नीचे दबने से कंडक्टर अंकित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक अशोक सुरक्षित बच गया. यह घटना गिरवर रोड के समीप हुई. सूचना मिलते ही लालघाटी थाना पुलिस और यातायात थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने क्रेन की सहायता से पलटे हुए ट्रक को हटाया और उसके नीचे दबे दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला. बताया जाता है कि ट्रक महाराष्ट्र के नासिक से राजगढ़ जिले के ब्यावरा की ओर शक्कर की बोरियां लेकर जा रहा था. गिरवर रोड के पास ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटने का मुख्य कारण ओवरस्पीड बताया जा रहा है. मृतक कंडक्टर अंकित के शव को पोस्टमार्टम के लिए शाजापुर जिला अस्पताल लाया गया.

भोपाल. राज्यपाल मंगुभाई पटेल से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने आज लोकभवन में सौजन्य भेंट की।

6 माह के बच्चे की सफल सर्जरी, मिला नया जीवन

जबलपुर, 18 मई. 6 माह के बालक श्रेयांश सिंह काकोटिया को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का लाभ मिला है और बच्चा अब पूरी तरह से इलाज के बाद स्वस्थ है. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिला जबलपुर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत हृदय रोग से ग्रसित 6 माह के बालक श्रेयांश सिंह काकोटिया पिता छोटे सिंह काकोटिया निवासी- म.नं. 137, वार्ड 14, ग्राम पिपरिया, विकासखण्ड कुण्डम, जिला जबलपुर को मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के माध्यम से सफल सर्जरी कर नया जीवन प्रदान किया गया है.

महिला को जिंदा जलाने की कोशिश

भिंड। मिहोना में मायके आई महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। महिला ससुराल से बीमार बाबा की सेवा करने अपने मायके जगनपुरा गांव आई थी। युवक शराब के नशे में घर में घुसा और महिला पर पेट्रोल डाल दिया। इसके बाद उसने आग लगा दी। घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि आग की चपेट में आकर आरोपी युवक भी घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार घायल 25 वर्षीय शीलम पत्नी जबरसिंह दौहरे निवासी बझाई थाना ऊमरी छह दिन पहले अपने मायके जगनपुरा आई थी। उसके बाबा की तबीयत खराब होने के कारण वह परिवार के साथ रहकर उनकी देखभाल कर रही थी। शीलम अपनी भाभी खुशबू के साथ घर में खाना बना रही थी। तभी 27 वर्षीय अजय पुत्र बलवीर गौतम निवासी कसेरुआ नशे की हालत में वहां पहुंच गया। आसपास के लोगों के मुताबिक युवक ने घर के छप्पर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इसके बाद चूल्हे से जलती लकड़ी उठाकर शीलम पर हमला कर दिया।

पति भी झुलसा

> अचानक आग फैलने से घर में अफरा-तफरी मच गई। बचाव के दौरान अजय भी आग की चपेट में आकर झुलस गया। ग्रामीणों ने दोनों को तुरंत रौन अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में अजय की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। युवक ने आग क्यों लगाई इसका अभी पता नहीं चला है।

पुरातत्वविदों की भूमिका निर्णायक

राम मंदिर और भोजशाला का सच सामने लाने में जेयू की अहम भूमिका

ग्वालियर, 18 मई. जीवाजी विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग ने एक बार फिर राष्ट्रीय फलक पर अपनी अकादमिक श्रेष्ठता का लोहा मनवाया है. देश के दो सबसे बड़े और संवेदनशील धार्मिक-ऐतिहासिक स्थलों अयोध्या के राम मंदिर और धार की भोजशाला का वैज्ञानिक सच सामने लाने में यहाँ के पुरातत्वविदों की भूमिका निर्णायक रही है.

हाल ही में धार भोजशाला को लेकर न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय इसी विभाग के पूर्व छात्र और एएसआई के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक प्रो. आलोक त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत शोध रिपोर्ट पर आधारित है.

ग्वालियर के 'मामा का बाजार' क्षेत्र के निवासी प्रो. आलोक त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ मार्च से जुलाई 2024 के बीच भोजशाला का सूक्ष्म पुरातात्विक निरीक्षण किया था. प्रो. त्रिपाठी ने 10 खंडों में बंटी हुई कुल 2200 पेज की एक व्यापक रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी. 98 दिनों तक चले इस शोध में स्पष्ट हुआ कि 10वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा निर्मित इस मूल संरचना के स्वरूप में 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान परिवर्तन किए गए थे. प्रो. त्रिपाठी, जिन्होंने 1984-86 के दौरान जीवाजी विश्वविद्यालय से पुरातत्व में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी, अपनी इस सफलता का श्रेय विश्वविद्यालय में मिली उत्कृष्ट शिक्षा और वरिष्ठ प्रोफेसरों के मार्गदर्शन को देते हैं.

विश्वविद्यालय का यह गौरवशाली इतिहास दशकों पुराना है. अयोध्या में राम मंदिर की मौजूदगी के पुरातात्विक साक्ष्य सबसे पहले दुनिया के सामने लाने का श्रेय जीवाजी विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष प्रो. बीबी लाल को जाता है. 1970 के दशक में उन्होंने 'आर्कियोलॉजी ऑफ रामायण साइट्स' प्रोजेक्ट के तहत खुदाई का नेतृत्व किया था. इस दौरान उन्हें बाबरी ढांचे के नीचे ऐसे पत्थर के खंभे मिले थे, जिन पर हिंदू देवी-देवताओं की आकृतियां अंकित थीं.

जल संकट पर विधायक हार्डिया नाराज़, सिस्टम पर फूटा गुस्सा

इंदौर ,18 मई. शहर में गहराते जल संकट को लेकर पांच नंबर क्षेत्र के विधायक महेंद्र हार्डिया ने नगर निगम की जल वितरण व्यवस्था पर नाराजगी जताई. महापौर और अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि शहर में पानी सप्लाई पूरी तरह असंतुलित हो गई है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

विधायक हार्डिया ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में उन्होंने इंदौर में ऐसा गंभीर जल संकट कभी नहीं देखा. उनका आरोप है कि पानी का वितरण मनमाने तरीके से किया जा रहा है. कई इलाकों में जरूरत से ज्यादा पानी पहुंच रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में लोगों के घरों तक सिर्फ बूंद-बूंद पानी पहुंच रहा है.

उन्होंने खास तौर पर पांच नंबर क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहां सबसे ज्यादा शिकायतें पेयजल संकट और अनियमित सप्लाई को लेकर मिल रही हैं. लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है. भीषण गर्मी के बीच हालात और खराब हो रहे हैं.

बैठक में विधायक ने अधिकारियों को जल वितरण व्यवस्था में तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो लोगों का गुस्सा बढ़ सकता है.

निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण हो : शुक्ल

अधोसंरचना एवं सेतु निर्माण कार्यों की उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने की समीक्षा

भोपाल, 18 मई. राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में रीवा जिले की महत्वपूर्ण अधोसंरचना और सेतु निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की. बैठक में मार्तण्ड स्कूल-जयस्तंभ ब्रिज फ्लायओवर, विजयसोता पुल और लक्ष्मण बाग एप्रोच ब्रिज परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई.

उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता और तय समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

बैठक में बताया गया कि रीवा शहर में कॉलेज चौराहे से ढेकहा तिराहा तक वाराणसी-नागपुर मार्ग पर प्रस्तावित फ्लायओवर निर्माण

के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत राशि स्वीकृत हो चुकी है. इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही है. उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रिपोर्ट जल्द प्राप्त कर आगामी प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए.

विजयसोता पुल निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही लक्ष्मण बाग एप्रोच ब्रिज परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई. बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखवीर सिंह सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.

सुनवाई | विधि अधिकारियों की नियुक्तियों के मामले में जवाब पेश करने अंतिम अवसर

नियम का पालन नहीं किए जाने को दी गई थी चुनौती

जबलपुर, 18 मई. महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों की नियुक्ति में नियम का पालन नहीं किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता कार्यालय की तरफ से जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस आर सी एस विसेन की युगलपीठ ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 19 जून निर्धारित की गयी है.

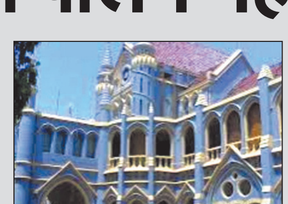

मप्र हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव योगेश सोनी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि महाधिवक्ता कार्यालय में कुल 157 लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति को लेकर 25 दिसंबर को सूची जारी की गई है. उन्होंने याचिका में आरोप लगाया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह मनमानी और पक्षपातपूर्ण है. याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2013 की राजपत्र अधिसूचना में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट और निर्धारित प्रक्रिया तय की गई है, लेकिन महाधिवक्ता कार्यालय ने उसका स्पष्ट उल्लंघन किया. अधिसूचना में कहा गया था कि सरकारी अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की प्रेक्टिस की योग्यता निर्धारित है. इसके उलट कई शासकीय अधिवक्ता ऐसे हैं जिनकी प्रेक्टिस 10 साल से बहुत कम है. यह दलील भी दी गई कि एक पद पर नियुक्ति के लिए तीन नाम भेजने का प्रावधान था.

> **हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति में भी आरक्षण की मांग उठी**
>
> हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में भी आरक्षण की मांग उठी है. ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस सिलसिले में राष्ट्रपति, सीजेआई, कानून मंत्रालय व हाईकोर्ट के सीजे को पत्र भेजा है. जिसमें कहा गया है कि मप्र हाई कोर्ट के स्थापना काल 1956 से लेकर आज तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक भी हाईकोर्ट जज की नियुक्ति नहीं हुई है. जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग से अपवाद के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की सौगत मिली. हालांकि वे भी दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर मप्र हाई कोर्ट आए थे. आरक्षित वर्ग की उच्च न्यायपालिका में सहभागिता की इस स्थिति को लेकर ओबीसी एडवोकेट्स वेल्फेयर एसोसिएशन ने इन वर्गों के अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट जज के रूप में नामांकित करने की आवश्यकता पर बल दिया है. इसके साथ ही महिलाओं को भी स्थान दिए जाने का बिंदु पत्र में शामिल किया गया है. एसोसिएशन से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि मप्र में अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजति जाति वर्ग की 21 प्रतिशत व अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 51 प्रतिशत है.

अश्लील वीडियो बनाने वाला ब्लैकमेलर युवक गिरफ्तार

सिंगरौली. नवानगर थाना क्षेत्र के एक युवक पड़ोस की रहने वाली एक महिला व्हाट्सएप से अश्लील वीडियों बनाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. बाद में उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था. फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध करते हुये न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. नवानगर थाना प्रभारी डॉ. अनिल पटेल के अनुसार थाना क्षेत्र की एक महिला गुड़िया देवी (परिवर्तित नाम) अपने परिजनो के साथ थाना उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया. जहां उसने बताया कि पड़ोसी दिवेन्द शाह करीबन एक वर्ष पूर्व से मुझे बहला फुसला कर मोबाईल में व्हाट्सएप से मेरी अश्लील वीडियो बना लिया.

एसडीओपी पूजा पांडे को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

जबलपुर, 18 मई. सिवनी जिले में हुए हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी एसडीओपी पूजा पांडे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. एसडीओपी ने कोर्ट को बताया कि उसके साथ 2 साल का बच्चा है. इसी आधार पर सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. हालांकि, ट्रायल कोर्ट में केस यथावत चलता रहेगा.

निलंबित एसडीओपी पूजा पांडे करीब 3 करोड़ रुपए के हवाला लूटकांड की मुख्य आरोपी हैं. उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी इस केस में शामिल हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता महिला है. वह एकल मां है और उसका 2 साल

का बच्चा उसके साथ जेल में है.

यह मामला खैरीटेक क्षेत्र में कथित हवाला रकम की लूट से जुड़ा है, जिसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी. आरोप है कि वारदात को पुलिस वर्दी और हथियारों का इस्तेमाल कर योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था. घटना सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने उच्चस्तरीय जांच शुरू की गई थी.